

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

दिनांक: 01-6-2022

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-10359 / 635

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय: Diversion of 0.014 ha. of forest land for Construction of Change of alignment of Karnal Munak road MDR-115 km 24.375 to 25.200 (Balance work), under forest Division and Disitric Karnal, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Road/146422/2021

मुख्य वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक द्वारा Executive Engineer Prrovincial Division No- 2 PWD (B&R) Karnal. के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है जो कि अनुमोदन उपरान्त आपको सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है। प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में 0.014 है० वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 11 वृक्ष (वालयुम 8.77m³) बाधक है जो कटवाए जाएंगे। यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजैन्सी से केम्पा के लेखा में निम्नप्रकार से जमा करवाई जाएगी।

क्र०सं०	विवरण	राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	190817
2.	मृदा एवं नमी संरक्षण चार्जिज	57245
4	नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फॉरेस्ट लैण्ड	13408
5.	फैलिंग चार्जिज	12278
	कुल	273748

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Railiwy Line k.m 104-108 L&R side पर 110 पौधे लगवाए जाएंगे। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है।

अतः उक्त प्रस्ताव आपको ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से प्रेषित है। कृपया वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।
10/6/2022
2017/2022

Full Title of the Project : Diversion of 0.014 ha. of forest land for Construction of Change of alignment of Karnal Munak road MDR-115 km 24.375 to 25.200 (Balance work), under forest Division and Disitric Karnal, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Road/146422/2021
2021

PART-V

(to be filled in by the Secretary incharge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Govt. not below the rank of an Under Secretary)

18.	Recommendation of the State Government (Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part-III or Part-IV above should be specifically commented upon)	Recommended for approval.
-----	--	----------------------------------

Date : _____

Place : Panchkula

Signature
Name
Office Seal


Principal Chief Conservator of Forests
Haryana, Panchkula
12/5/10
30/5/10